

...किस्म.....

.....उन्वान.....

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। व कुलकाय उपखण्ड।
पत्रावली पूर्वानुसार करके वरमा 1.1
दिनांक 19-12-24 को पेश है।

पत्रावली पेश हुई वकुलाय
उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार
वास्ते.....

दिनांक..... को पेश है।
2-4-25

⁴ 7-25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक..... को पेश है।
24-4-25

⁹ 27-25 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा
स्वगन किया गया है वरमा पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक..... को पेश है।

⁸ 22-28 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक..... को पेश है।

⁷ 23-25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 27.10.25 को पेश है।

¹⁰ 27-25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज
दिलाने पर भी सायल एवं उनके अक्षियवता
उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 108/2019 उन्वान
महेन्द्र कुमार वरमा हरिभिक्षन तारमा पत्र
अस्याई निषेधना। अरम पैरंगी अरम ठाजिरी
में धारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार
होकर वाद तकमील नं. से कम भी जाकर मूल
रॉके के साथ शामिल मिसल रहे।

अरमा खुले न्यायालय में सुनाया गया।